जो इस ... तामील में जारी हुए

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व वाद संख्या 107 / 2014 अनवान माणकाराम बनाम खेताराम

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श ढूंढा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 18.05.2018 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श ढूंढा पर पत्रावली पेश हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय

18.05.2018

आज यह पत्रावली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श ढूंढा पर पेश हुई। वादी माणकाराम पुत्र गुलाबाराम जाति मेघवाल निवासी आदर्श ढूंढा शिविर में उपस्थित हुआ। वादी ने शिविर में उपस्थित होकर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा की भूमि पृथक किये जाने हेतु प्राथमिक डिकरी जारी की गई है, जो गलत है। उसने वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा अंकित कर पुनः प्राथमिक डिकरी जारी किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर भू–अभिलेख निरीक्षक कवास एवं तहसीलदार बाड़मेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक कवास एवं तहसीलदार बाड़मेर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भीक डिकरी के अनुसार वादी का 1/3 हिस्सा का विभाजन करने हेतु मौके पर कहा गया, तो उसने उक्त विभाजन करने से ईन्कार किया।

वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी माणकाराम ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपना 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 2/3 हिस्सा राजस्व अभिलेख में अंकित होना स्वीकार किया है तथा अपने 1/3 हिस्से की भूमि मौके पर पृथक किये जाने हेतु निवेदन किया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2016 को प्राथमिक डिकरी जारी की गई। उक्त प्राथमिक डिकरी में किसी प्रकार की अशुद्धि नही हुई है और वादी माणकाराम द्वारा

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 107/2014 अनवान माणकाराम बनाम खेताराम**
	प्रस्तुत चौसाला जमाबन्दी आदर्श ढूंढा के खाता संख्या 29 के अनुसार वादी की सहमति के आधार पर प्राथमिक डिकरी जारी हुई है। वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उसका 1/2 हिस्सा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से होना प्रमाणित नही है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होने से निरस्त किया जाता है तथा वादी न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिकरी के अनुसार भूमि विभाजन कराये जाने सहमत नही है, जो भू–अभिलेख निरीक्षक कवास एवं तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदनानुसार निरस्त किया जाता है। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner